(6)

संख्या:–220 / XVII-3 / 10–09(17)04

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

(v) अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 24 मई, 2010

विषय:– उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियतवेतन का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या:–392 / XVII(2) / 2008–09(17)2004 दिनांक 03 जुलाई, 2008 के क्रम में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तथा राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं / निगमों आदि (उपनल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के मानदेय को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(रुपये में)

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	कार्मिकों को देय धनराशि	उपनल को देय धनराशि			उपनल को देय कुल धनराशि (c+d)
			उपनल हेतु सर्विस चार्ज {a पर 5% की दर से}	योग (a+b)	भा0स0 को देय सर्विस टैक्स (c) पर 10.3% की दर से	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
(क)	सुरक्षा गार्ड / चौकीदार / वन चौकीदार / आबकारी सिपाही / मीटर रीडर / डाकरनर सह पियोन / अटेन्डेन्ट / अनुसेवक / हाउसकीपर / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / सफाईकर्मचारी सह पियोन / मिस्त्री सह बेलदार / कुक सह वेटर / वार्ड ब्वाई / वार्ड आया / माली और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकरा जाये।	6000	300	6300	649	6949
(ख)	गार्ड कमाण्डर / ड्राइवर / टी.जी.–2 / पलम्बर / फिटर / इलेक्ट्रिशियन / सशस्त्र सुरक्षा गार्ड / कल्याणकर्ता / डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर) और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।	7000	350	7350	757	8107

(ग)	सुपरवाइजर/लिपिक (स्नातक+एम.एस. ऑफिस का ज्ञान)/लेखाकार (बी.काम+टैली का ज्ञान)/रिसेपनिष्ट सह टेलीफोन पी.बी.एक्स. ऑपरेटर सह कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री आपरेटर/ड्राईवर सह पियोन/टेलीफोन टेक्निशयन/स्टोरकीपर/नर्सिंग टैक्निशियन/लैब टैक्निशियन/ब्लड बैंक टैक्निशियन और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।	7850	392	8242	849	9091
(घ)	असिस्टेंट सुरक्षा अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/पी.एस./पी.ए./स्टैनोग्राफर (स्नातक+पॉलिटेक्निक से आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण) और ऐसे प्रकार के कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी चाले उसे किसी भी नाम से पुकरा जाए।	9000	450	9450	973	10423
(ङ)	सुरक्षा अधिकारी/प्रशासन अधिकारी/प्रोजेक्ट मैनेजर या समकक्ष चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाये।	24500	1225	25725	2650	28375

2. क्रमांक–(क) पर अंकित कार्मिकों के कुल मानदेय में ई.पी.एफ./इन्श्योरेन्स/मेडिकल/एक्स ग्रेसिया पेमेन्ट/बोनस/टरमिनल ग्रेच्युटी इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें लागू हो अनिवार्य कटौती कर, शेष धनराशि कार्मिकों के बैंक खाते में जमा की जायेगी। क्रमांक–(ख) से (ङ) पर उल्लिखित कार्मिकों से ई.पी.एफ. की कटौती अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होगी।

3. उपनल के कार्मिकों के पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूरे संविदा अवधि का 28.98% की दर से एक वर्ष के लिये अधिकतम सप्ताहिक, 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती/गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे।

4. 05 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दर पूर्ववत् रखी जा सकती है।

5. समस्त अधिकारी/कार्मिक केवल संविदा पर ही नियुक्त किये जायेंगे।

6. संविदा पर नियुक्ति के समय वरीयता क्रमशः वीर नारियों/पूर्व सैनिकों/उनकी धर्मपत्नी/आश्रितों (पुत्र तथा पुत्री या दत्तक पुत्र/पुत्री को अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक) को सेवायोजित किया जा सकता है। आश्रितों को अधिकतम 10 वर्ष तक ही सेवायोजित किया जा सकेगा, चूंकि आश्रितों को सेवायोजन पूर्व सैनिकों के पुनर्वास का पैकेज है, जिसे 10 वर्ष से अधिक नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त कार्यरत सैनिकों की धर्मपत्नी और उनके आश्रित भी उपरोक्तानुसार नियुक्ति पा सकेंगे। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिक के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन पूर्व की भांति ही जारी रहेगा। किसी विशेष स्थिति मे यदि यह सब उपलब्ध न हो, तो शैक्षिक/तकनीकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अन्य केवल अन्तरिम समय के लिये संविदा पर कार्य करेंगे।

7. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज/सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।

8. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किये जाने के अनुसार परिवर्तित तय दर एवं देय तिथि से लागू होगी।

9. चूंकि उपनल उत्तराखण्ड सरकार का निगम है, मुख्य नियोक्ता टी.डी.एस. बिना कटौती किए, उपनल को पूर्ण राशि भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम इन्कम टैक्स जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनियाय शुल्क (Statutory dues) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

10. उक्त प्रस्तर 1 से 9 के अतिरिक्त शासनादेश संख्याः–158 / XVII(1)-09(11)/2004 दिनांक 04 अगस्त, 2004, शासनादेश संख्या–900 / XVII(1)-03 / 2005–09(102) / 2005 दिनांक 24 मई, 2005, शासनादेश संख्या–19 / XVII(1)-03 / 2007–102(सै.क.) / 2002 दिनांक 16 जनवरी, 2007 एवं शासनादेश संख्या–392 / XVII(2) / 2008–09(17) / 2004 दिनांक 03 जुलाई, 2008 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध / प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः–06(P) / XXVII(3) / 2009–10 दिनांक 13 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– /XVII(1)-3 / 10–09(17)04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
सचिव।